संख्याः 1483 /I/2005-03(1)/12/04

प्रेषक,

डा0 एम0सी0 जोशी
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
उरेडा
देहरादून।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः 18 मार्च, 2005

विषयः वित्तीय वर्ष 2004–2005 में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को आयोजनेत्तर पक्ष में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3052/उरेडा/बजट/आयोजनेत्तर/04–05, दिनांक 10.03.2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–2005 में आयोजनेत्तर पक्ष में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वेतन हेतु रु0 5.00 लाख व चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रु0 2.50 लाख, इस प्रकार कुल रू0 07.50 लाख (रू0 सात लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन व्यय भार वहन हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– स्वीकृत धनराशि की फांट निदेशक, उरेडा, देहरादून द्वारा मुख्यालय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के लिये करने के उपरान्त शासन को अवगत कराया जायेगा और धनराशि का आहरण आवश्यकता अनुसार ही किया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) मुख्यालय से वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा तैयार बिल पर जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त किया जायेगा। तदोपरान्त जनपद कार्यालयों हेतु निदेशक, उरेडा द्वारा धनराशि प्रेषित की जायेगी।

3– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0एम0 एण्ड डी0 अथवा टैण्डर/कुटेशन विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें।

5– उक्त धनराशि का व्यय वेतन एवं चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये ही किया जायेगा।

.....2

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

7– अगली किश्त तभी स्वीकृत की जायेगी, जब उरेडा द्वारा विगत वर्ष के वास्तविक व्यय का विवरण, पूर्व स्वीकृत एवं अब स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं उसकी उपयोग की स्थिति उपलब्ध करा दी जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा।

9– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से सर्वप्रथम वचनबद्ध मद यथा वेतन, महँगाई भत्ता व अन्य भत्ते के व्यय को वहन किया जायेगा और उसके उपरान्त ही मितव्ययता के आदेशों का अनुपालन करते हुये अवचनबद्ध मदों में व्यय किया जायेगा।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2810–वैकल्पिक ऊर्जा–60–ऊर्जा के अन्य स्त्रोत–आयोजनेत्तर–800–अन्य–03–प्रशासनिक व्यय–01–उरेडा के लिये अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा ।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 892/वि0अनु0–3/2004, दिनांकः 17 मार्च, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

/

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्याः 1483 /I/2005-03(1)/12/04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– जिलाधिकारी, देहरादून।
3– कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
5– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव